

1979

पत्रावली पेशा हुई। वकील शायल को सुना गया।  
उद्योग पुनः गयी पर वापस अन्तरिम  
22-7-79 को पेशा हो

22.7.79

पत्रावली पेशा हुई। वकील शायल को सुना गया।  
उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अनुसार  
बतशा करते हुए पत्रावली में जारी अन्तरिम अन्तरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा की ता फैसला वापस तक स्थायी  
रूप से जारी करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अपरोक्षकन किया पत्रावली में गैर  
शायलान के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही चल रही है  
तथा शायल के पक्ष में पूर्व में जारी की गई दिनांक  
5/12/16 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दावे के निर्णय  
तक स्थायी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार  
किया जाकर शायल के पक्ष में पूर्व में जारी अन्तरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 5/12/16 को ता फैसला  
दावा कन्फर्म किया जाकर गैर शायलान की अस्थायी  
निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि बट गैर मु.  
-वाह खसरा नं. 348 रखवा 0.02 है० ग्राम धान  
से सिंचाई में शायलान की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर जम्बर से कम  
हो तथा शामिष मूलपाद रहे।

सहायक कलेक्टर  
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगपुर सि:टी (स०मा०)

पत्रावली पेशा हुई। वकील शायल को सुना गया।  
उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अनुसार  
बतशा करते हुए पत्रावली में जारी अन्तरिम अन्तरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा की ता फैसला वापस तक स्थायी  
रूप से जारी करने का निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगपुर सि:टी (स०मा०)